कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 286/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक- 23.07.2026**

01.थाना – फूलपुर, जनपद आजमगढ़

तांत्रिक बनकर दो सगी बहनों से दुष्कर्म व तीसरी से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार

फूलपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, झाड़ -फूंक और तंत्र-मंत्र के नाम पर चार वर्षों तक शोषण करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना / इतिहास

दिनांक **22.07.2026** को वादिनी मुकदमा ने लिखित तहरीर देकर बताया कि अभियुक्त महफूज पुत्र अबूबकर निवासी गहनी खुर्द, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ पिछले 4-5 वर्ष से उसके घर आता-जाता था। घटना के दिन अभियुक्त ने माता-पिता को मंत्र-जाप के बहाने बाहर बैठा दिया और घर के अंदर झाड़-फूंक करने के दौरान वादिनी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। शोर मचाने पर परिवार के सदस्य मौके पर पहुंच गए और अभियुक्त को पकड़ लिया।

घटना के बाद वादिनी की बहनों ने भी बताया कि अभियुक्त ने तंत्र-मंत्र और झाड़-फूंक के बहाने उन्हें डरा-धमकाकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया तथा किसी को बताने पर तांत्रिक विधा से जान से मारने की धमकी दी। तांत्रिक बनकर झाड़-फूंक एवं तंत्र-मंत्र के नाम पर दो सगी बहनों के साथ दुष्कर्म तथा तीसरी बहन के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले वांछित अभियुक्त **महफूज पुत्र अबूबकर निवासी गहनी खुर्द, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़** को फूलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में थाना फूलपुर पर **मु0अ0सं0- 232/2026, धारा 65(1)/351(3)/352/333 बीएनएस तथा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट** पंजीकृत है।

गिरफ्तारी का विवरण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक **22.07.2026** को थाना फूलपुर की पुलिस टीम ने अभियुक्त **महफूज पुत्र अबूबकर निवासी गहनी खुर्द, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़** को फूलपुर से समय करीब **23:26 बजे** गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त- **महफूज पुत्र अबूबकर**, निवासी गहनी खुर्द, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 40 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

हे0का0 दिनेश कुमार वर्मा, का0मु0 गौरव यादव थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

बच्चों के विवाद में हुई मारपीट के मामले में मेंहनगर पुलिस की कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार

गर्भवती महिला से मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना / इतिहास

दिनांक 17.07.2026 को वादिनी मुकदमा नेहा पत्नी दिक्षित निवासी ग्राम खुटवा चक खुटवा, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना मेंहनगर पर अभियुक्त आकाश पुत्र अमरजीत निवासी ग्राम खुटवा चक खुटवा के विरुद्ध बच्चों के विवाद को लेकर गर्भवती महिला के साथ मारपीट करने, गाली-गलौज करने तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में मु0अ0सं0-260/2026 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण

आज दिनांक 23.07.2026 को उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला मय हमराह द्वारा अभियुक्त **आकाश पुत्र अमरजीत निवासी ग्राम खुटवा चक खुटवा, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़** को अक्षैबर पुलिया, थाना मेंहनगर क्षेत्र से प्रातः 09:35 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त
आकाश पुत्र अमरजीत निवासी ग्राम खुटवा चक खुटवा, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0 260/2026, धारा 115(2)/352/351(3)/105 बीएनएस, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास
मु0अ0सं0 260/2026, धारा 115(2)/352/351(3)/105 बीएनएस, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।
कांस्टेबल अजय राय थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।

थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़
रौनापार पुलिस की कार्रवाई, पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को भेजा गया न्यायालय
नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना / इतिहास
दिनांक 19.07.2026 को वादी मुकदमा द्वारा थाना रौनापार पर दी गई तहरीर के आधार पर उसकी लगभग 13 वर्षीय नाबालिग पोती को अभियुक्त **अर्जुन कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम आराजी देवारा करखिया (निविहवा), थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़** द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में मु0अ0सं0- 208/2026, धारा 137(2)/87 बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 20.07.2026 को पीड़िता को सकुशल बरामद कर उसका मेडिकल परीक्षण एवं बयान अन्तर्गत धारा 180/183 बीएनएसएस कराया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन, में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक **23.07.2026** को उ0नि0 अनुराग कुमार पाण्डेय मय हमराह पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **अर्जुन कुमार** को रामनगर कुकरौछी, थाना रौनापार क्षेत्र से प्रातः **10:10 बजे** गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-
अर्जुन कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम आराजी देवारा करखिया किता-01 (निविहवा), थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0 208/2026, धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस एवं 5L/6 पॉक्सो एक्ट, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास
मु0अ0सं0 208/2026, धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस एवं 5L/6 पॉक्सो एक्ट, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
उ0नि0 अनुराग कुमार पाण्डेय थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।
रि0का0 कुशहर कुमार थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।
रि0का0 मंगला यादव थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने व पॉक्सो एक्ट के मामले में बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना / इतिहास

दिनांक 03.07.2026 को वादी द्वारा थाना रौनापार पर दी गई तहरीर के आधार पर उसकी लगभग 17 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त पुत्री के घर से बिना बताए चले जाने के संबंध में मु0अ0सं0 176/2026, धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 18.07.2026 को पीड़िता को सकुशल बरामद कर उसका मेडिकल परीक्षण एवं बयान अन्तर्गत धारा 180/183 बीएनएसएस कराया गया। पीड़िता के बयान एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में धारा 87/64(2)M बीएनएस तथा 5L/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

कृत कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन, में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक **23.07.2026** को उ0नि0 मधुसूदन मिश्रा मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित **एक बाल अपचारी** को खैरैलिया ढाला, थाना रौनापार क्षेत्र से प्रातः **09:20 बजे** नियमानुसार पुलिस संरक्षण में लिया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए बाल अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 176/2026, धारा 137(2)/87/64(2)M बीएनएस एवं 5L/6 पॉक्सो एक्ट, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 176/2026, धारा 137(2)/87/64(2)M बीएनएस एवं 5L/6 पॉक्सो एक्ट, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

पुलिस टीम

उ0नि0 मधुसूदन मिश्रा
का0 बासुकीनाथ सिंह
का0 श्रीप्रकाश पाण्डेय थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़

अवैध अस्पताल संचालन व चिकित्सीय लापरवाही से प्रसूता की मृत्यु के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार

बिना वैध अनुमति अस्पताल संचालित करने के आरोप में वांछित चिकित्सक अहरौला पुलिस के हत्थे चढ़ा

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 17.07.2026 को वादी ओमकार मौर्य निवासी ग्राम नाटी माहुल, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना अहरौला पर तहरीर दी गई कि उनकी पत्नी करिश्मा (उम्र लगभग 23 वर्ष) को प्रसव हेतु रसूलपुर अहमद अली स्थित शहनवाज मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सक द्वारा लापरवाहीपूर्वक ऑपरेशन करने तथा गलत रक्त चढ़ाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0- 234/2026, धारा 105 बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान जांच में 34 इंडियन मेडिकल कमीशन एक्ट, 2019 (राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019) की धारा की बढ़ोत्तरी की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक **23.07.2026** को उ0नि0 यश सिंह पटेल मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त **डा. मो. अकबर खान पुत्र सोहराब खान निवासी माहुल खास, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 37 वर्ष** को **फुलवरिया अंडरपास** से समय करीब **11:00 बजे** गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- डा. मो. अकबर खान पुत्र सोहराब खान निवासी माहुल खास, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 37 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 234/2026, धारा 105 बीएनएस एवं 34 इंडियन मेडिकल कमीशन एक्ट, 2019 (राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019), थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 यश सिंह पटेल, चौकी प्रभारी माहुल, थाना अहरौला
- हे0का0 सुरेन्द्र निषाद
- का0 जितेन्द्र यादव

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़
पुरानी रंजिश में जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपी निजामाबाद पुलिस के हत्थे चढ़े
हत्या के प्रयास में वांछित दो अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त चाकू, लोहे की रॉड व लाठी बरामद

पूर्व की घटना / इतिहास

दिनांक 01.07.2026 को वादी/पीड़ित अग्रसेन यादव उर्फ सनी पुत्र इन्द्रसेन यादव निवासी परवेजाबाद, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ अपने खेत की ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर अभियुक्तगण द्वारा हत्या करने की नियत से लोहे की रॉड, लाठी-डंडा एवं चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया तथा उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। इस संबंध में दिनांक 04.07.2026 को थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0 168/2026 धारा 109(1), 352, 115(2), 3(5) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं घटना में प्रयुक्त शस्त्र की बरामदगी के आधार पर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक **23.07.2026** को व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित दो वांछित अभियुक्तों **विशाल कुमार** एवं **आकाश उर्फ धर्मेन्द्र सोनकर** को **दत्तात्रेय धाम गेट** के पास से समय करीब **09:33 बजे** गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त **विशाल कुमार** की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त **एक अदद रामपुरी चाकू, लोहे की रॉड एवं एक लाठी** बरामद की गई। अभियुक्तों को उनके अपराध से अवगत कराते हुए नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- विशाल कुमार पुत्र स्व. सुरे उर्फ प्यारेलाल निवासी ग्राम रामपुर अबुसईद, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।
- आकाश उर्फ धर्मेन्द्र सोनकर पुत्र उमाशंकर सोनकर निवासी ग्राम आगापुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

- एक अदद रामपुरी चाकू
- एक लोहे की रॉड
- एक लाठी

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 168/2026, धारा 109(1), 352, 115(2), 3(5) बीएनएस एवं धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास (विशाल कुमार)-

- मु0अ0सं0 310/2022, धारा 323, 342, 366, 376-D, 506 भादवि, थाना निजामाबाद।
- मु0अ0सं0 512/2023, धारा 323, 325, 34, 504, 506 भादवि, थाना निजामाबाद।
- मु0अ0सं0 558/2023, धारा 504, 506 भादवि, थाना निजामाबाद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव
- उ0नि0 दिलीप आनन्द
- का0 दीपक कुमार पासवान
- का0 अवधेश सिंह
- रि0का0 मुकेश